

दिनांक 16/3/22

पुस्तकालय कागज दुकान

4/22

16/3/22 पत्रावली पत्रिका के वकील वादी उज्ज्वल
 प्राथी/वादी श्री भारते वादी अधिवक्ता
 दुकान कागज पत्रिका के वकील
 कापरी जमाने के पत्र के कारण
 खाली करने के लिए किनेट
 करके। वादी दुकान के हलाल
 भोजिशिल पर के लिए किनेट पत्रिका
 घटका वकील कादी रघुपति श्री उज्ज्वल
 पत्रिका के वकील कादी कागज के भागे
 नहीं चलाना करते हैं तो बाद के
 भागे चलाने के का केरी को
 नहीं है प्राथी/वादी कागज के वकील
 किया जाकर वादी कागज पत्रिका के
 खाली किया जाता है पत्रावली
 के मूल शुकाट होकर इति के कर
 होकर कागज इतर है। निर्णय भाग
 दिनांक 16/3/22 को लिखा जाकर का
 इपलाफ दुकान गया।

पुस्तकालय
 Identified by
 [Signature]
 16/3/22

सहायक कलक्टर
 जयपुर शहर द्वितीय

